भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 654

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

कोयले की कमी

654. श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभरः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में कोयले के उत्पादन और आपूर्ति से सम्बंधित आँकडे उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले की कमी के कारण किसी बिजलीघर को बंद करना पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में प्रचुर कोयला भंडार होने के बावजूद कोयले का आयात किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश में राज्य-वार कोयला उत्पादन और आपूर्ति का विवरण (अनंतिम) निम्नानुसार है।

(आंकड़े मिलियन टन में)

राज्य	उत्पादन	आपूर्ति
असम	0.20	0.26
छत्तीसगढ़	204.96	207.69
झारखंड	206.17	202.24
मध्य प्रदेश	167.57	140.32
महाराष्ट्र	70.78	70.34
ओडिशा	269.36	254.63
तेलंगाना	71.51	67.76

उत्तर प्रदेश	20.86	46.40
पश्चिम बंगाल	36.09	35.70

(ग) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों, वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) विद्युत संयंत्रों में कोयले की कुल प्राप्ति उनकी खपत से अधिक रही है। कोयले की कोई कमी नहीं थी। वास्तव में, डीसीबी विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार दिनांक 31.03.2022 को 24.2 मि.ट. से बढ़कर 34.6 मि.ट. (31.03.2023 को) और 47.8 मि.ट. (31.03.2024 को) हो गया है। दिनांक 31.03.2025 को कोयला भंडार 55.5 मि.ट. था जो 85% प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) की आवश्यकता पर औसतन 20 दिनों से अधिक के लिए पर्याप्त था। हालांकि, पिछले तीन वर्षों के दौरान, डीसीबी संयंत्रों की कुछ इकाइयों ने कुछ अवधि के लिए बिजली की कटौती होने की सूचना दी है, जिसका मुख्य कारण संयंत्र में कोयला उतारने की समस्या, भुगतान संबंधी समस्याएं और कोयले का ट्रांजिट में होना रहा।

(घ) : देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन और आपूर्ति के माध्यम से पूरी की जाती है। हालाँकि, कुछ क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण कोयले का आयात करते हैं, जैसे कि इस्पात क्षेत्र, मुख्यतः देश में कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता के कारण कोयले का आयात करता है। आयातित कोयला-आधारित विद्युत संयंत्र अपनी डिज़ाइन विशिष्टताओं के कारण आयातित कोयले पर निर्भर करते हैं। गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के कुछ उपभोक्ता भी कॉस्ट इकोनॉमिक्स और वाणिज्यिक विवेक के आधार पर कोयले का आयात करते हैं।

वर्तमान आयात नीति के तहत, कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा जाता है। इससे उपभोक्ताओं को, अनुबंधित मूल्यों पर, लागू शुल्क का भुगतान करके, अपनी पसंद के किसी भी स्रोत से स्वतंत्र रूप से कोयला आयात करने की अनुमति मिलती है।

इसके बावजूद, सरकार का ध्यान घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और अनावश्यक कोयला आयात को न्यूनतम करने पर केंद्रित है। इस कार्यनीति के कारण घरेलू आपूर्ति में सुधार होने से कोयला आयात में कमी आने की प्रवृति देखने को मिल रही है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत ने कुल 243.62 मिलियन टन (मि.ट.) कोयले का आयात किया, जो पिछले वर्ष के 264.53 मि.ट. की तुलना में कम है। इस गिरावट के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग ₹60,681.67 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हुई।

****